न्यायाल

जी.सी.एम.एस. नम्बर- 20

मुकदमा नम्बर 22/20

18/8/21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दोरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 27/8/21 को पेश हो।

27/8/21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दोरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 5/10/21 को पेश हो।

5/10/21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दोरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 3/11/21 को पेश हो।

3/11/21 पत्रावली प्र०प० मिसल तलबी का पेश होने पर आज पेश हुई। प्रतिवादी की तलबी पूर्व में हो चुकी है जो बावजूद तामील के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में पूर्व में आ०वा० पेश हो चुकी है। बहस वकील व [illegible] सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/11/21 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

5/11/21 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मि० नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021 / 1171
मुकदमा नम्बर 22 / 2021

दायर दिनांक : 23–06–2021

राजेन्द्र उर्फ राजेश पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भैंरूबास झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
– वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील प्रति. :– राजपैरोकार

दावा : बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 15–11–2021

वाद–पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य यह है कि :– वाके राजस्व ग्राम भैंरूबास में भूमि खरा नम्बर 731, 732, 733, 734, 742, 743, 744 रकबा क्रमशः 0.46, 0.50, 0.04, 1.52, 0.05, 0.02, 1.45 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 4.04 हैक्टर स्थित है, जिसमें वदी का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्सा भूमि अन्य सहखातेदारान का है। हिस्से के संध में कोई विवाद वाद–पत्र में नही है।

वर्णित खसरा नम्बर 731, 732, 733, 734, 742, 743, 744 रकबा क्रमशः 0.46, 0.50, 0.04, 1.52, 0.05, 0.02, 1.45 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 4.04 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/8 दर्ज चला आ रहा है। परन्तु खातेदारी में वादी का नाम अन्य दस्तावेजात से भिन्न ''राजेश'' दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का सही नाम ''राजेन्द्र'' है। वर्णित भूमि के रिकार्ड में वादी का नाम राजेश की जगह राजेन्द्र दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया गया।

वादी के पहचान के सभी दस्तावेजात यथा आधार–कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह–कार्ड, पत्नी का आधार कार्ड, वादी के पुत्र सुमित का आधार कार्ड, पुत्र दीपक के आधार कार्ड आदि सभी दस्तावेजात में वादी का नाम राजेन्द्र दर्ज है जबकि खातेदारी रिकार्ड में वादी का नाम राजेश दर्ज है। नाम गलत दर्ज होने से वादी को अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी का वर्णित खसरा नम्बरों में राजेश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/8 के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/8 घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

ग्राम बिरोल मे राजेश पुत्र रामेश्वर नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है बल्कि आम बोल–चाल में वादी का नाम राजेश भी बोल दिया करते थे इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलती से राजेश दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम राजेन्द्र है। राजेश और राजेन्द्र अलग–अलग व्यक्ति नही है बल्कि दोनो नाम वादी के ही नाम है।

वादी गरीब अनपढ़ काश्तकार है जिसके राजस्व रिकार्ड में व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम पृथक–पृथक होने से वादी को सरकारी सहायताओं से व योजनाओं से वंचित व नुकसान होता है। वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की जांच के लिए जब राजस्व रिकॉर्ड की प्रति ई–मित्र से दिनांक 10–06–2021 को निकलवाई तब वादी को रिकार्ड में अपना नाम राजेन्द्र की बजाय राजेश दर्ज होने की जानकारी हुई।

वादी ने वाद–पत्र में अनुतोष चाहा है कि ग्राम भेरूबास स्थित भूमि खसरा नम्बर 731, 732, 733, 734, 742, 743, 744 रकबा क्रमशः 0.46, 0.50, 0.04, 1.52, 0.05, 0.02, 1.45 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 4.04

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:21 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

हैक्टर में राजेश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/8 के नाम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/8 दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की तलबी प्रर्याप्त रूप से होने पर इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही होने पर विवाद्यक बिन्दु कायम किये जाने की आवश्यकता नही रह जाती है। शहादत वादी में वादी राजेन्द्र उर्फ राजेश पुत्र रामेश्वर, गवाह पत्नी लच्छी देवी, संजू देवी उपस्थित। अपने चीफ शपथ–पत्र पेश किये गये जो शामिल मिसल किये गये। शहादत वादी में वादी एवं गवाहान् द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि राजेश एवं राजेन्द्र दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है जो वादी का नाम है। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रदर्श–2ए राजेन्द्र का आधारकार्ड, प्रदर्श–3ए राजेन्द्र का मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श–4ए मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श 5ए भामाशाह कार्ड, प्रदर्श–5ए सुशीला का आधार कार्ड, प्रदर्श–6ए दीपक का आधार कार्ड इत्यादि प्रदर्शित करवाये।

शहादत वादी पेश होने पर बहस विद्वान वकील वादी की सुनी गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम दुरूस्त करने की इस्तदुआ की गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् यथा प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रदर्श–2ए वादी राजेन्द्र का आधार कार्ड, प्रदर्श–3ए वादी राजेन्द्र का मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श–4ए मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श 5ए भामाशाह कार्ड, प्रदर्श–5ए वादी की पत्नी श्रीमती सुशीला का आधार कार्ड, प्रदर्श–6ए वादी के पुत्र दीपक का आधार कार्ड इत्यादि से वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर होना प्रमाणित होता है। तथा वादी द्वारा अपने शपथ पत्र में भी अपना सही नाम राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर होना अंकित किया गया है। वर्णित दस्तावेजात से प्रमाणित होता है कि राजेश पुत्र रामेश्वर व राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर दोनो नाम के एक ही व्यक्ति के नाम है जो वादी का नाम है। लिहाजा वाद वादी प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम भेरूबास स्थित भूमि खसरा नंम्बर 731, 732, 733, 734, 742, 743, 744 रकबा क्रमशः 0.46, 0.50, 0.04, 1.52, 0.05, 0.02, 1.45 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 4.04 हैक्टर में दर्ज राजेश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/8 के नाम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

ए. सी. इ. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:21 IST
Reason: SelfAttested

4

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) मुकाम बईजलास नवलगढ
दमयंती कंवर (आर0ए0एस0) ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰), नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम व
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

जी॰सी॰एम॰एस॰ नम्बर– 2021/1171
मुकदमा नम्बर 22/2021 (राजेन्द्र बनाम तहसीलदार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर0ए0एस0),ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰), नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब–मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक ~~02.10.2021~~ 15/11/21 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम भेरूबास स्थित भूमि खसरा नम्बर 731, 732, 733, 734, 742, 743, 744 रकबा क्रमशः 0.46, 0.50, 0.04, 1.52, 0.05, 0.02, 1.45 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 4.04 हैक्टर में दर्ज राजेश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/8 के नाम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. ~~02.08.2021~~ 15/11/21 को जारी की गई।

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:21 IST
Reason: SelfAttested